26.9.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बाटवारा रिपोर्ट पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई, प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत अंतिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो,

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

द पत्र. संख्या ::– 136/2014

1– खाना (मृतक) पिता गोपी जी धाकड निवासी बामनहेडा के बजाय :–
1/1– बाबूलाल पिता स्व0 खाना जी धाकड निवासी बामनहेडा
1/2– गुड्डी पुत्री खाना जी धाकड पति जगदीश जी धाकड
निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ
1/3– सोनिया पुत्री खाना जी धाकड पति बालकिशन धाकड
निवासी बलवन्तनगर तह0 बेगूँ
2– चंम्पालाल पिता मु. लक्ष्मण धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
3– भूरा पिता मु. अमरचन्द धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
4– श्यामलाल पिता भूरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– श्री शंकरलाल पिता हीरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2– श्रीमति शांतिबाई पुत्री हीरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
3– श्री तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता वादीगण
श्री मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

संशोधित निर्णय दिनांक ::–14.08.2024

संशोधित निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री अजमेंरी द्वारा प्रस्तुत कर वादपत्र में निवेदन इस प्रकार से किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 सभी ग्राम बामनहेडा के स्थाई निवासी होकर सदभावी कृषक है एवं पूर्व में एक ही परिवार के सदस्य थे जिनका वंशवृक्ष इस प्रकार है :–

पीथा जी धाकड (पूर्वज)
|

रामा फोत | गोपी फोत | अमरचंद्र फोत | लक्ष्मण फोत
| | | |
हीरा फोत | ---------------- | भूरा मुतबन्ना | चंपा मुतबन्ना
| | खाना चंपा भूरा | वादी संख्या 3 | वादीसंख्या 2

| वादी 1

मंगी शंकर शांतिवाई
लाल लाल प्रति.3
प्रति 1 प्रति 2

यह कि ग्राम मौजा बामनहेडा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 के पुश्तैनी सहखातेदारी काश्त की भूमियां विद्यमान होकर हक हिस्सेनुसार रामा जी 1/4, गोपी जी 1/4, अमरचंद 1/4, लक्ष्मण 1/4 आपसी बंटवारा जबानी से काबिज है मौजुदा रूप से रामा जी के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1,2,3 गोपी के 1/4 हिस्से पर खाना वादी 1 अमरचंद्र जी के 1/4 हिस्से पर भूरा वादी 3 लक्ष्मण जी के 1/4 हिस्से पर चम्पालाल वादी 2 काश्त कर रहे है। चालू जमाबंदी सं0 2067 से 2070 के अनुसार

संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर	सिंचाई साधन
	516	0.6070	526
	523	0.4210	
	524	0.0730	526
	525	0.2590	
	535	0.1460	
	536	0.1480	526
	542	0.2190	
	किता–7	1.8710हैक्टर	
105	543	0.2020	526
	किता–1	0.2020 हैक्टर	
106	528	0.1700	526
	529	0.2020	
	548	0.1950	
	549	0.0970	526
	551	0.0970	
	किता–5	0.7610 हैक्टर	
107	546	0.1860	534
	547	0.0970	
	552	0.5830	
	किता–3	0.8660 हैक्टर	
182	72	0.0400	
	278	0.1050	
	419	0.0890	
	537	0.0810	
	538	0.1540	
	539	0.1620	
	541	0.0570	
	544	0.0890	
	550	0.0650	534
	563	0.3880	
	569	0.4290	
	570	0.4450	
	585	0.6800	
	615	1.5780	
	688	0.4530	
	किता–5	4.8150 हैक्टर	
38	534 आ.चा.	0.0400 हैक्टर	
	किता–1	0.0400 हैक्टर	

यह कि वाद की चरण संख्या दो में अंकित सभी आराजीयात पर पुश्तैनी रूप से पीथा जी (पूर्वज) के पुत्र रामा जी, गोपी जी, अमरचंदजी, लक्ष्मण जी सदभावी कृषक के नाते जबानी आपसी बंटवाडे अनुसार प्रत्येक अपने अपने 1/4 हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे थे आज

सी अनुसार गोपी, रामा जी, अमरचंदजी, लक्षमण जी के शांत होने के उपरांत भी उनके हम वारिसान उसी अनुसार कब्जे से काश्त कर रहे है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के पिता श्री हीरा जी जो अब फोत हो चुके है ने बदयांतिवश झूठे निराधार तथ्यों से वाद भूमि में समस्त का 1/2 हक प्राप्ति हेतु सन 1982 में न्यायालय श्रीमान में ही एक वाद बंटवारा व घोषणा का वाद संख्या 17/82 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 17.01.1991 को रामा जी के हक में निर्णित हुआ जिसकी पुनरावेदन क्रमांक 52/91/वि/चि/डि/ हम प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में प्रस्तुत की जो दिनांक 22.09.93 को राजस्व अपील प्राधिकारी जी उदयपुर शिविर चितौडगढ में हम वादीगण के तथ्यों को इस हेतु स्वीकार करते हुए कि पीथा जी के वारिसान अमरचंद्र लक्ष्मण ला औलाद फोत होने से उनके वारिस भूरा मुतबन्ना अमरचंद्र ,चम्पा, मुतबन्ना लक्ष्मण ही है ना कि हीरा पिता रामा , उपखण्ड अधिकारी जी बेगूं का निण्रय दिनांक 17.01.1991 को खारिज फरमाया गया । फिर एक प्रार्थना पत्र धारा 229 रा0टी0एक्ट हीरा पिता रामा जी ने हम खाना चम्पा भूरा (हाल वादीगण) के विरूद्ध चितौडगढ ही मे राजस्व अपील प्राधिकारी नियत हो जाने से दिनांक 15.03.94 को प्र0सं0 115/94 से प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 24.12.96 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जी चितौडगढ ने यह टिप्पणी करते हुए खारिज फरमाया कि न्यायालय ने चम्पा, भूरा के गोदनामा (मुतबन्ना) को अभिभाषक की बहस एवं दस्तावेजो के आधार पर निर्धारण किया गया है रिव्यु स्वीकार योग्य नहीं है। इसके उपरान्त अब तक हीरा पिता रामा जी या उनके वारिसान ने किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है हम खातेदारान रामा गोपी भूरा चम्पा के वारिसान प्रत्येक 1/4 हक पर काबिज हो काश्त कर रहे है।

यह कि वादप. की चरण संख्या 2 में अंकित समस्त आराजीयात कके वादीगण प्रत्येक 1/4 हक से बंटवारा कराने व रेवेन्यु रेकार्ड में मृतक हीरा जी द्वारा गलत इन्द्राज करवा लिया था उसे खारिज करवाने की घोशणा करवाने की अधिकारी है। इस हेतु पत्रावली पूर्व वाद संख्या 17/82 निर्णय दिनांक 17.01.91 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी बेगूं रार्जस्व अपील प्राधिकारी जी चितौडगढ ने दिनांक 22.09.93 को अपास्त फरमाया व रिव्यु दिनांक 24.12.96 को अपास्त फरमाया गया तलबी हेतु प्रार्थना पत्र वाद के साथ प्रथक से प्रस्तुत है उस पत्रावली में संलग्न पूर्व निर्णयो न्यायालय आप व अपील अधिकारी जी चितौडगढ के अवलोकन सम्पूर्ण तथ्य जो पूर्व में निर्धारित है स्पष्ट हो जावेगें। एवं दुबारा गौर फरमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वादीगण समस्त खातो से निम्नानुसार 1/4 प्रत्येक हक का बंटवारा करा खातेदारी हक से अंकित करवा निराधार पूर्व में गलत अंकित नामो को हटाये जाने की घोषणा कराने की अधिकारी है वाद भूमि के रेकार्ड में निम्नानुसार दुरूस्ती कराने के भी हकदार है।

(क) खाता संख्या 104 कुल आराजी 7 रकवा 1.8710 हैक्टर में खातेदार मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिवाई पिता हीरा 1/4, चम्पा मुत0 लक्ष्मण 1/4, भूरा मुत0 अमरचंद्र 1/4, खाना पिता गोपी 1/4 अंकित होना चाहिए ।

(ख) खाता संख्या 105आराजी संख्या 543 रकवा 0.02020 हैक्टर में मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिवाई पिता हीरा, अंकन इसी अनुसार रखाया जावे आपसी वंटवारे में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के ही कब्जे में आ रही है।

(ग) खाता संख्या 106 में अंकित आराजी कीता 5 रकवा 0.7610 हैक्टर में मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिवाई 1/4, खाना पिता गोपी 1/4, भूरा मुत0 अमरचंद्र 1/4, चम्पा मुत0 लक्ष्मण 1/4 अंति होना चाहिए।

(घ) खाता संख्या 107 किता–3 कुल रकवा 0.8660 हैक्टर आराजी में मांगीलाल, शंकलाल, शांतिवाई 1/4 खाना पिता गोपी 1/4, चम्पा मुत0 लक्ष्मण 1/4, भूरा मुत0 अमरचंद्र 1/4 अंकन होना चाहिए।

(ड) खाता संख्या 182 में आराजी किता–15 रकवा 4.8150 हैक्टर में हीरा पिता मु0अमरचंद्र गलत अंकन है को हटा कर मांगीलाल शंकरलाल, शांतिवाई 1/4, खाना पिता गोपी 1/4, चम्पा मुत0लक्ष्मण 1/4, भूरा मुत0 अमरचंद्र 1/4 अंकन होना चाहिए ।

ता संख्या 38 (आ0चाह534) रकबा 0.0400 हैक्टर मे चम्पा मुत0 लक्ष्मण 1/4, भूरा मुत0 ंद्र 1/4, मांगीलाल शंकरलाल शांतिबाइ पिता हीरा 1/4, खाना पिता गोपी 1/4 अंकित ा चाहिए।

यह कि वाद भूमि के बंटवाड व इन्द्राज दुरूरती रेवेन्यु रेकार्ड में खातेदारी के नामो व हिस्से की घोषणा बाबत वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को चितौडगढ राजस्व अपील न्यायालयों के निर्णय पश्चात बार बार कहा किन्तु कोई सुनवाई नहीं करने से अंतिम बार दिनांक 15.06.2014 को जबानी सूचना प्रतिवादी संख 1,2,3 को देकर बंटवाडा नियमानुसार व इन्द्राज दुरस्ती रेवेन्यु रेकार्ड में सही खातेदारी हक अंकन व नाम दुरस्ती हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई हैं वाद हेतु अब तक उत्पन्न हो रहा है। ताकि अच्छी स अच्छी एवं बुरी से बुरी सुविधानुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस के साथ ही बंटवारा हो सके। यह कि वाद भूमि बामनहेडा प0ह0 गोविनदपुरा तह0 बेगॅू में स्थित होकर खातेदारी हक की काश्त की भूमि होने से वाद श्रवण योग्य न्यायालय आप होने से वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

अतःप्रार्थना है कि :–

(अ) वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर चरण संख्या 2 में अंकित समस्त भूमि का बंटवारा अच्छी से अच्छी से बुरी से बुरी , मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के साथ फरीकेन की सहमति सुविधानुसार वादीगण 1,2,3 प्रत्येक 1/4 हक से व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 समस्त 1/4 हक से फरमाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ब) वादपत्र की कलम संख्या 6 में अंकन अनुसार नाम दुरस्ती फरमा खातेदारी हक की घोषणा फरमाई जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में खाता पृथक पृथक फरमाया जावें।

(स) यदि फरीकेन वक्त मौका सहमति सुविधानुसार कजे जो अीाि है प्रदान करें तो उसी अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में अंकन व घोषणा फरमायी जावें।

(द) हरजा, खर्चा, वकील महनताना आदि वादीगण को प्रतिवादीगण 1,2,3 से दिलाया जावें।

(य) अन्य कोई दाद मुफीद बहक वादीगण सादिर हो सकती हो वो भी प्रदान कराई जावें।

वादीगण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि पंश्तैनी होना स्वीकार है, रामा जी एवं गोपी जी के वारिसान ही जीवित है अमरचंद्र एवं लक्ष्मण लाऔलाद फोत हो गये है जिससे पीथा के वारिसान रामा व गोपी ही शेश रहे तथा रामा व गोपी के फोत होने पर उनके वारिसान जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण है का उक्त भूमि में 1/2–1/2 हक हिस्सा होकर काबिज है एवं वाद वर्णित आराजी पर काश्त कर रहे है वादीगण द्वारा अंकित हक हिस्सा गलत होकर अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादीगण रामा व गोपी के वारिसान होकर अपने अपने हक हिस्सा 1/2–1/2 पर काबिज होकर अपने अपने हक हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि प्रतिवादीसंख्या 1,2,3 के पिता हीरा जी फोत होना स्वीकार है। यह कथन अस्वीकार है कि गलत तथ्यों पर वाद पेश किया था बल्कि सही वास्तविक तथ्यों पर ही वाद पेश किया गया था क्यो कि वादीगण व प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर 1/2 का ही हक हिस्सा था वह आज भी है। अमरचंद्र व लक्ष्मण पीथा के वारिसान थे उनके भूरा व चम्पा को गोद रखा किन्तु गोदनामे रजिस्टर्ड नहीं हुए और न ही गोद देने व गोद लेने का सामाजिक रस्मे पूरी की गई तथाकथित वाद में जो प्रदर्श–6 दस्तावेज है उसके अनुसार भूरा व चम्पा को पुनः गोदनामें से वंचित किया गया है तथा इसी अनुसार उक्त वाद वर्णित भूमि रामा तथा गोपी के वारिसान के मध्य ही विभाजित होना है जो उक्त भूमि में दोनो पक्षों का 1/2 हक हिस्सा है उसी अनुसारी आज भी दोनों पक्ष काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा यदि कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई तो वादीगण कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थें। यह कि राजस्व अभिलेख में 1/2 हक हिस्सा का इन्द्राज किया गया है वह सही किया गया है। वादीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 6 अस्वीकार है वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण एवं ादीगण का 1/2–1/2 हक एवं हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर श्त कर रहे है। राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की दुरस्तील करवाये जाने की आवश्यकता नहीं । जो राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया है वह बिल्कुल सही किया गया है।

उसी कलम की उप कलम क–ख–ग–घ–ड–च में जो वादीगण द्वारा अलग अलग खाता में अंकित आराजीयात में हक हिस्सा का अंकन किया गया है वह भी अस्वीकार है। विस्तृत विवरण उपर की कलम में विस्तार से दिया जा चुका है। वर्णित खातो में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हक हिस्सा होकर उसी अनुसार काबिज है । वादीगण ने अपने मनमर्जी अनुसार हिस्सा बंटवारा कर गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार वाद वर्णित आराजीयात का जो हक हिस्सा अनुसार इन्द्राज रेवेन्यु रेकार्ड में किया गया है उसमें किसी प्रकार के संशोधन करवाये जाने के वादीगण अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा कोई जवाबी सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई है मनगढंत तथ्य अंकित किये है। जैर बहस आराजी के वाद में पूर्व में निर्णय होने से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है ।

यह कि वादीगण की प्रार्थना की कलम है वह भी अस्वीकार है वाद वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित है एवं उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया है। वादीगण किसी प्रकार की घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली मे प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जाने व प्रतिवादी संख्या 4 विभाजन के वाद में फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब न्यायालय द्वारा बन्द किये जाने के उपरान्त पत्रावली मे वादपत्र एवं जवाबदावा के अनुसार निम्न तनकी पत्र पृथक से तेयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गयाः–

1– आयाि क मौजा बामनहेडा प.ह. गोविन्दपुरा की वाद वर्णित आराजयीात की समस्त भूमि का बंटवारा अच्छी से अच्छी एवं बुरील से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के साथ या फरीकेन की सहमति सुविधानुसार वादीया सं. 1,2,3 प्रत्येक का 1/4 हक स व प्रतिवादी सं0 1,2,3 समस्त के 1/4 हक से करा पाने के वादी अधिकारी है? साथ ही खातेदारी हक की घोषणा कराने व खाता पृथक पृथक करा पाने के वादीगण अधिकारी हे?
वादी

2– आया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है कयो कि वाद वर्णित आराजयीात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित है एवं उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज यिका हुआ है वादीगण किसी प्रकार की घोषणा एवं इन्द्राज करा पाने के अधिकारी नहीं है? वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज किया जाने योग्य है?
प्रतिवादीगण

3– दादरसी

पत्रावली में तनकी पत्र तैयार किये जाने के उपरान्त वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र चम्पालाल पिता लक्ष्मण धाकड व गवाह शंकरलाल पिता उदा जी धाकड व सोहनलाल पिता पेमा जी धाकड के प्रस्तुत किए गये प्रकरण मे वादी चम्पालाल से अधिवकता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई जिसमें उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताया गया है, जिरह में बताया कि हमें गोद रखा गया है। यह कहना गलत है कि रामा व गोपी के शांत हो जाने से उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के बीच 1/2 आई हो बल्कि 1/4 हिस्से में आई है। यह कहना गलत है रामा और गोपी के हिस्से 1/2–1/2 हिस्सा किया हो जो सही हो। यह गलत है कि हम वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी 1/2–1/2 पर काबिज हो बल्कि 1/4 हिस्से पर ही काबिज है। इस जिरह के पूर्ण होने के साथ ही पूर्व में वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श भी कराया जाकर अपने बयान कलमबद्ध कराये गयें। पत्रावली वादी गवाह शंकरलाल व सोहनलाल से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा अपनी उपस्थिती न्यायालय में नहीं दिये जाने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश इस न्यायालय द्वारा दिये गये तथा पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो जाने से कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीगण की बहस को ूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद वर्णित आराजीयात को सभी ीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/4–1/4 हक से विभाजित किये जाने व वादपत्र के कलम ंख्या 6 की उपकलम में वर्णित क–ख–ग–घ– ड– च के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया है। हमारे द्वारा अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिनका उल्लेख तनकीवार निर्णय किये जाते वक्त किया जावेगा।

पत्रावली में कायम तनकीपत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा नकल जमाबंदी मौजा बामनहेडा के खाता संख्या में 104 दर्ज आराजी संख्या 516, 523, 524, 525, 535, 536, 542, किता–7 कुल रकबा 1.8710 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मांगीललाल शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा चम्पा भुरा खाना पिता गोपी धाकउ सा0देह दर्ज अंकित है। यह जमाबंदी प्रदर्श–1 है, प्रदर्श–2 भी नकल जमाबंदी मौजा बामनहेडा की सं0 2067 से 2070 की है जिसमें दर्ज खाता संख्या 105 में अंकित आराजी संख्या 543 रकबा 0.2020 हैक्टर भूमि श्री मांगीलाल शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा धाकड सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है। खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 528, 529, 548, 549, 551 किता–5 कुल रकबा 0.7610 हैक्टर भूमि खातेदार श्री मांगीलाल शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा खाना पिता गोपी धाकड सा.देह के नाम दर्ज अंकित है। खाता संख्या 107 में अंकित आराजी संख्या 546, 547, 552 किता–3 कुल रकबा 0.8660 हैक्टर भूमि श्री मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिबाई पिता हीरा खाना पिता गोपी चम्पा पिता मु. लक्ष्मण भूरा पिता मु. अमरचन्द्र धाकड सा.देह खातेदार हिस्सा बराबर दर्ज अंकित है। प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 भी नकल जमाबंदी मौजा बामनहेडा की सं0 2067 से 2070 तक है, जिसमे दर्ज खाता संख्या 182 में अंकित आराजी संख्या 72, 278, 419, 537, 538, 539, 541, 544, 550, 553, 569, 570, 585, 615, 688 किता–15 कुल रकबा 4.8150 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री हीरा पिता अमरचंद्र धाकड सा.देह दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी मौजा बामनहेडा सं.2067 से 2070 में खाता संख्या 39 में अंकित आराजी संख्या 292, 293, 303, 430, 568, 687 किता–6 कुल रकबा 2.8820 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री चम्पा पिता मु. लक्ष्मण भुरा पिता मु. अमरचन्द्र धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। इन सभी वाद वर्णित जमाबंदीयों का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया । प्रदर्श–5 इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 17/82 व अनवान हीरा पिता रामा धाकड बनाम खाना पिता गोपी धाकड व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज0काश्त0 अधि0 का प्रस्तुत किया था जिसमें इस वाद वर्णित सभी आराजीयात के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 17.01.1991 को दिया गया है जो पत्रावली में प्रदर्श–6 होकर शामिल पत्रावली किया गया है, निर्णय में " इस प्रकार से वाद के समस्त बिन्दु वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी का वाद खातेदार घोषणा , स्थाई निशेधाज्ञा तथा विभाजन का स्वीकृत करते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 2 सम्वत 2034 से 2037 आराजी नम्बर किता–15 रकवा 29 बीघा 15 बिस्वा , खाता संख्या 63सम्वत 2034 से 2037 आराजी नम्बर किता 7 रकवा 11 बीघा 11 बिंस्वा , खाता संख्या 67 सम्वत 2034 से 237 आराजी नम्बर किता–9 कुल रकवा 25 बीघा 10 बिस्वा , खाता संख्या 78 सम्वत 2034 से 2037 आ.नं. कीता–5 रकवा 4 बीघा 14 बिंस्वा एवं खाता संख्या 77 सम्वत 2034 से 2037आराजी नम्बर किता–3 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा है। उक्त समस्त भूमि का 1/2 खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा बंटवारे की प्राथमिक डिकी दी जाती है कि उक्त आराजी में से 1/2 वादी का 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी मय लगान विभाजित की जाकर विभाजन सूची मय नक्शाट्रेस 2 प्रत में तहसीलदार बेगू प्रस्तुत करें । आदेश जारी हो। प्राथमिक डिकी विभाजन सादीर हो निणय सुनाया गया । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें "

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील प्रतिवादीगण खाना चम्पा व भूरा द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर शिविर चितौडगढ में प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके निर्णय दिनांक 22.9.1993 को निर्णय पारित किया कि" अतः पुनरावेदन स्वीकार किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी बेगूं को निण्रय व आज्ञप्ति दिनांक 17.01.1991 निरस्त किये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। यह निर्णय की सत्यप्रति प्रदर्श–9 है तथा इस निर्णय की डिकी प्रदर्श–8 है। इस निर्णय के विरूद्ध रिव्यु अपील वादी हीरा पिता

रा पुनः माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसके की प्रति प्रदर्श–7 है, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इस रिव्यु को दिनांक 24.12. 06 को अस्वीकार करते हुए एवं उनके न्यायालय के पूर्व निर्णय व अज्ञप्ति दिनांक 22.9.1993 करण संख्या 52/91 यथावत रखने का निर्णय पारित किया है। अव इन सभी दस्तावेज में से वाद वर्णित आराजीयात का पूर्व में दावा जो इस न्यायालय में विचाराधीन होकर निर्णित हुआ जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा रखा गया तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा रखते हुए इसी हिस्सानुसार सभी आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित भी किया गया, किन्तु इस निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होकर इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया गया है, जहॉं एक ही न्यायालय में यह दो वार मामला प्रस्तुत होने का प्रश्न है इसके लिए कानूनन सिद्धान्त रेसज्यूडीकेटा पर हमें विचार करना होगा ,क्यो कि इस दावे में वर्णित आराजीयात को पूर्व में दावे के माध्यम से सुनी जाकर निर्णित की गई है किन्तु इस न्यायालय का निर्णय जो वादी के पक्ष में किया गया था उसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा कही कोई द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जहॉं तक निर्णय निरस्त किये जाने की वात है वह दिनांक 22.9.1993 का जिसे अव लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है वैसे भी नियमानुसार किसी न्यायालय का निर्णय डिक्री 12 वर्ष की मियाद तक ही मान्य रहती है जहॉं तक आराजी में निर्णय का प्रश्न है जो कि इस न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है वह लागू नहीं होता है, इसलिए इस प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त अव लागू नहीं होता है। अव प्रश्न आता है वर्णित आराजीयात के हिस्सो का यह वर्णित भूमि पीथा जी जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज थे की है उनके चार पुत्र थे रामा, गोपी, अमरचंद्र व लक्ष्मण इनमें से अमरचंद्र व लक्ष्मण ला औलाद फोत हुए वाद में वर्णित संजरा एवं तथ्यों अनुसार अमरचंद्र ने भूरा को व लक्ष्मण ने चम्पा को गोद लिया था, प्रतिवादीगण का कथन उनके जवाव में था कि गोदनामा पंजीकृत नहीं होकर सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोदरखे जाने की कार्यवाही समाज के समक्ष नहीं हुई है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इस वाद पत्र में इस तथ्य की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति अपने आप में ही अस्वीकार की जाने योग्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत सजरे को सही मानते हुए वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4–1/4 मानते हुए वाद पत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित उप कलम के अनुसार वादीगण इस आराजीयात को अपने नाम पर करा पाने के अधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य एव सबूत के आधार पाये जाते है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णितय की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, जिन्होने अपने जवाबदावे में वादपत्र को मिथ्या एवं मनगन्त तथ्यों के आधार प्रस्तुत किया जाना बताया था, साथ वाद वर्णित आराजीयात में 1/2–1/2 हिस्सा होने का कथन अंकित किया था, किन्तु अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रतिवादीगण द्वारा उनकी ओर से इस दावा पत्रावली में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जहॉं तक वादीगण के वादपत्र में अंकित सजरा एवं चाहे गये अनुतोष का प्रश्न है उसके लिए पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 में विस्तृत निर्णय किया जाकर वादीगण के पक्ष में उक्त तनकी को निर्णित किया गया है। इस तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे यह तनकी नम्बर 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

इस दावा पत्रावली मे कायम तनकीयात दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है साथ ही मौजा बामनहेडा के वर्तमान जमावंदी अनुसार खाता संख्या 247 दर्ज आराजी संख्या 516, 523, 524, 525, किता–4 कुल रकबा 1.3600 हैक्टर भूमि में खातेदार प्रतिवादी शंकरलाल, शांतिवाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, रखा जाकर तथा खाता संख्या 105 में अंकित 543 रकबा 0.2020 हैक्टर मांगीलाल, शंकरलाल , शांतिवाई पिता हीरा अंकन इसी अनुसार रखते हुए तथा खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 528, 529, 548, 549, 551 किता–5 कुल रकबा 0.7610 हैक्टर भूमि में मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिवाई 1/4, खाना पिता गोपी 1/4, भूरा मुत.अमरचंद्र 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण 1/4 हिस्सा रखते हुए तथा खाता संख्या 107 में अंकित आराजी संख्या 546, 547, 552 किता–3 कुल रकबा 0.

क्टर मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिबाई 1/4, खाना पिता गोपी 1/4, भूरा मुत.अमरचंद्र 1/4, मुत. लक्ष्मण 1/4 हिस्सा रखते हुए एवं खाता संख्या 182 में दर्ज आराजी संख्या 72, 278, 9, 537, 538, 539, 541, 544, 550, 553, 569, 570, 585, 615, 688 किता–15 कुल रकबा 4. 150 हैक्टर में अंकित हीरा पिता मुतबन्ना अमरचंद्र का नाम हटाया जाकर मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिबाई 1/4, खाना पिता गोपी 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण 1/4 भूरा मुत. अमरचंद्र 1/4 रखते हुए तथा खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी संख्या 534 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि में चम्पा मुत. लक्ष्मण 1/4, भूरा मुत. अमरचंद्र 1/4, मांगीलाल, शंकरलाल, शांतिबाइ पिता हीरा 1/4, खाना पिता गोपी 1/4 हिस्सा रखे जाने की घोषणा की जाकर आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व कब्जे को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/– रूपये पर कमिश्नर शुल्क नियुक्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.2023 को न्यायालय द्वारा जारी की जाकर आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतुं न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूं को प्राथमिक डिक्री प्रति भिजवाये जाने हेतु लिखा गया था, लेकिन प्रकरण में तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्र कमाक/राजस्व/2024/800 दिनांक 08.02.2024 से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वादीगण कमांक1/1 श्रीमती नन्दकंवरीबाई बेवा खाना धाकड निवासी बामनहेडा की मृत्यु हो चुकी है, प्रतिवादीगण श्री मांगीलाल पिता हीरा धाकड निवासी बामनहेडा की भी मृत्यु हो चुकी है।

यह कि दौराने वाद आ.नं. 546, 547, 552 किता 3 रकबा 0.866 हैक्टर मे एवं आराजी नं. 516,523, 524, 525, 535, 536, 542 कीता– 7 रकबा 1.871 हैक्टर भूमि वादी कमांक 2 श्री चम्पालाल पिता मु. लक्ष्मण धाकड द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा श्री श्यामलाल पिता भूरा धाकड को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 617 दायर किया जाकर दिनांक 24.05.2016 को निर्णित किया जा चुका है। यह कि आराजी नं. 546, 547, 552 कीता–3 रकबा 0.866 हैक्टर मे एवं आराजी नं. 516, 523,524, 525, 535, 536, 542 कीता–7 रकबा 1.871 हैक्टर में वादी कमांक 3 श्री भूरा पिता मुत. अमरचन्द्र धाकड द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का दान श्री श्यामलाल पिता भुरा धाकड को कर दिया गया है। जिसका नामान्तरण 613 दायर किया जाकर दिनांक 05.06.2016 को नामान्तरण स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रकरण मे उपरोक्त रिपोर्ट से अधिवक्ता वादीगण को अवगत कराया गया, अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्रावली में अन्तर्गत धारा 151 एवं 152जा.दी. का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि वादी संख्या 1/1 नंदकवरीबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस बाबुलाल गुडउी, सोनिया पूर्व में रिकोर्ड पर मौजूद है, जिससे नंदकवरीबाई का नाम डिलिट किया जावें। प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है और वह लाऔलाद फोत उसके भाई शंकरलाल व शंकरीबाई पूर्व मे ही रिकोर्ड पर होने से मांगीलाल का नाम भी डिलिट कर दिया जावें। यह कि भूरा का हिस्सा श्यामलाल क`नाम दान हुआ है और चम्पा का हिस्सा श्यामलाल के बेचान हुआ है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वाद हक 1/4 दर्ज किये जाने से जो हिस्सा और 1/4 दर्ज होने से बढ है उसे जो श्यामलाल का दान होने के बाद बढा है उसे भूरा के नाम दर्ज यिका जावे और चम्पा का हिस्सा जो वाद प्रस्तत करने के समय दर्ज था उसे बेचान के बाद जो बढ है उसे चम्पा के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि श्यामलाल के दान से प्राप्त होने व बेचान से प्राप्त हुए हिस्से का दर्ज रखे जाने में वादीगण को कोई आपत्ति नही है। यह कि प्रकरण मे सीताबाई पति रामेश्वरलाल धाकड का नाम खाना जी के वारिसान नंदकंवरीबाई गुड्डी, बाबुललाल, सोनिया द्वारा बेचान करने से दर्ज हुआ है जिसमें वादी को कोई आपत्ति नहीं है। और खाना के वारिसान को भी 1/4 हक दिया गया जो बेचान के बाद का हिस्सा शेष दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पीथा जी का सजरा भी सृजित कर प्रार्थना पत्र में दर्शाया है, यह कि प्रकरण हाजा में निम्न प्रकार संशोधित डिकी प्रदान की जावे:–

1– कि चम्पा के वारिसान का 1/4 हक दिया गया है जो वाद प्रस्तुत करते समय 1/4हक कम था उसे बेचने के पश्चात जो 1/4 से बढा हिस्सा है वह बाबुलाल गुड्डी सोनिया पिता खाना के नाम दर्ज किया जावें।

कि वादी संख्या 2 चम्पालाल के नाम हिस्सा 1/4 से कम था और अब डिकी से जो हिस्सा ढा है वह हिस्सा जो चम्पालाल के बेचान के पश्चात जो और बढता है वह उसी के खाते में बढा के दर्ज किया जावें बेचान और शेष हिस्सा करके 1/4 तक पहूंचाया जावें।

3– कि वादी संख्या 3 भूरा जो हिस्सा अपने पुत्र श्यामलाल को दान किया है जो वाद प्रस्तुत करते समय कम हिस्सा था उसे दान के पश्चात अनुपातिक रूप से 1/4 तक बढे हुए हिस्सा को दर्ज किया जावें

4– कि प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल व शांतिबाई के नाम कुल वाद वर्णित आराजी में 1/4 हक दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे क्यो कि मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिकी में संशोधित किये जाने का आदेश प्रदान करें। इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र नाम डिलिट का भी अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवकता प्रतिवादी ने अनापत्ति जाहिर की है, बहस अधिवक्तागण की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनी गई, पत्रावली में रिपोर्ट तहसीलदार, बेगूं का एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पूर्व में जारी प्राथमिक डिकी का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र151, 152 जा.दी. स्वीकार किया जाना हम न्यायसंगत समझते हुए प्रकरण मे वर्तमान जमाबंदी को ध्यान में रखते हुएं संशोधित प्राथमिक डिकी निम्न प्रकार से दिये जाने का आदेश दिया जाता हैः–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है साथ ही मौजा बामनहेडा के वर्तमान जमाबंदी अनुसार मौजा बामनहेडा की आराजी संख्या 516, 523, 524, 525 कीता–4 रकबा 1.36 हैक्टर में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण का हिस्सा 1/12, भूरा मुत. अमरचन्द का हिस्सा 1/12, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/12, सीताबाई पति रामेश्वरलाल धाकड का हिस्सा 1/6, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/3 अनुसार, तथा आराजी संख्या 535, 536, 542, कीता–3 रकबा 0.511 हैक्टर भूमि में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण का हिस्सा 1/12, भूरा मुत. अमरचन्द का हिस्सा 1/12, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/3 के अनुसार आाराजी स. 543, रकबा 0.202 है. भूमि में शंकरलाल, शान्तिबाई पिता हिरा अंकन इसी अनुसार रखते हुए आराजी संख्या 528, 529, 548, 549, 551 किता–5 कुल रकबा 0.7610 हैक्टर भूमि खातेदार श्री शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा 1/4 खाना पिता गोपी के वारिसान 1/4 भुरा मु. अमरचन्द 1/4 चंम्पा मु. लक्ष्मण 1/4 हिस्सा रखते हुए एवं आराजी संख्या 546, 547, 552 कीता–3 रकबा 0.866 हैक्टर भूमि में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/2 अनुसार, रखते हुए आराजी संख्या 534 रकबा 0.04 हैक्टर में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/2 हिस्सा रखते हुए आराजी संख्या 72, 278, 419, 537, 538, 539, 541, 544, 550, 553, 569, 570, 585, 615, 688 किता–15 कुल रकबा 4.8150 हैक्टर में अंकित हीरा पिता मुतबन्ना अमरचंद्र का नाम हटाया जाकर शंकरलाल, शांतिबाई पिता हिरा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण 1/4 भूरा मुत. अमरचंद्र 1/4 रखते हुए हिस्से की घोषणा की जाती है तथा उपरोक्त हिस्सा अनुसार आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व कब्जे को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूॅ को 2000/– रूपये पर कमिश्नर शुल्क नियुक्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिकी तैयार की जाकर प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2014 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश))
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में संशोधित प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र. संख्या :– 136/2014

1– खाना (मृतक) पिता गोपी जी धाकड निवासी बामनहेडा के बजाय :–
1/1– बाबूलाल पिता स्व0 खाना जी धाकड निवासी बामनहेडा
1/2– गुड्डी पुत्री खाना जी धाकड पति जगदीश जी धाकड
निवासी रूपपुरा तह0 बेगूँ
1/3– सोनिया पुत्री खाना जी धाकड पति बालकिशन धाकड
निवासी बलवन्तनगर तह0 बेगूँ
2– चंम्पालाल पिता मु. लक्ष्मण धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
3– भूरा पिता मु. अमरचन्द धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
4– श्यामलाल पिता भूरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1– श्री शंकरलाल पिता हीरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2– श्रीमति शांतिबाई पुत्री हीरा जी धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
3– श्री तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ
प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेंरी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा की उपस्थती में इस वाद अ.धा. 88–53–89 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है साथ ही मौजा बामनहेडा के वर्तमान जमाबंदी अनुसार मौजा बामनहेडा की आराजी संख्या 516, 523, 524, 525 कीता–4 रकबा 1.36 हैक्टर में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण का हिस्सा 1/12, भूरा मुत. अमरचन्द का हिस्सा 1/12, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/12, सीताबाई पति रामेश्वरलाल धाकड का हिस्सा 1/6, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/3 अनुसार, तथा आराजी संख्या 535, 536, 542, कीता–3 रकबा 0.511 हैक्टर भूमि में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण का हिस्सा 1/12, भूरा मुत. अमरचन्द का हिस्सा 1/12, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/3 के अनुसार आराजी स. 543, रकबा 0.202 है. भूमि में शंकरलाल, शान्तिबाई पिता हिरा अंकन इसी अनुसार रखते हुए आराजी संख्या 528, 529, 548, 549, 551 किता–5 कुल रकबा 0.7610 हैक्टर भूमि खातेदार श्री शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा 1/4 खाना पिता गोपी के वारिसान 1/4 भुरा मु. अमरचन्द 1/4 चंम्पा मु. लक्ष्मण 1/4 हिस्सा रखते हुए एवं आराजी संख्या 546, 547, 552 कीता–3 रकबा 0.866 हैक्टर भूमि में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/2 अनुसार, रखते हुए आराजी संख्या 534 रकबा 0.04 हैक्टर में शंकरलाल शांतिबाई पिता हीरा का हिस्सा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान का हिस्सा 1/4, श्यामलाल पिता भुरा धाकड का हिस्सा 1/2 हिस्सा रखते हुए आराजी संख्या 72, 278, 419, 537, 538, 539, 541, 544, 550, 553, 569, 570, 585, 615, 688 किता–15 कुल रकबा 4.8150 हैक्टर में अंकित हीरा पिता मुतबन्ना अमरचंद्र का नाम हटाया जाकर शंकरलाल, शांतिबाई पिता हिरा 1/4, खाना पिता गोपी के वारिसान 1/4, चम्पा मुत. लक्ष्मण 1/4 भूरा मुत. अमरचंद्र 1/4 रखते हुए हिस्से की घोषणा की जाती है तथा उपरोक्त हिस्सा अनुसार आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व कब्जे को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये पर कमिश्नर शुल्क नियुक्त किया जाता है।

तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव र कर मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिकी तैयार जाकर प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश))
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 418 दिनांक :– 20. 8. 24

दावा संख्या 136 / 2014 व अनवान खाना बनाम मांगीलाल में जारी प्राथमिक डिकी की प्रति वास्ते पालना हेतु तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर शुल्क वादी से वसूल कर प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में प्रस्तुत करें

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ